हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 2 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 फरवरी, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

गुर्जर आरक्षण

पांचवी बार हुआ संवैधानिक मजाक

हिंसा से डरी सरकार ने गुर्जरों को दिया आरक्षण

जयपुर। हिंसा और आक्रामकता के बल पर राजस्थान का गुर्जर समाज पिछले तेरह सालों से आन्दोलन कर रहा है। इस दौरान जितनी भी सरकारें आयी वे सभी इस समाज को समझाने और संवैधानिक प्रावधान बताने में पूरी तरह असफल रहती रही हैं। और ऐसा पांचवी बार हुआ है कि सरकार एक बार फिर हिंसा से डर कर झुकी है और उसने गूर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देना स्वीकार कर लियो है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विशेष बात ये है कि ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनायी गयी सीमा रेखा 50 प्रतिशत से आगे दिया गया है।

सरकारें अपने संवैधानिक दायित्व से अलग किसी तरह प्रदेश में शांति बनाये रखने के लिए हिंसा का मुकाबला करते हुये गोलियाँ चला कर भी देख चुकी है, लेकिन अंततः 2008, 2012, 2015 और 2017 के बाद अब 2019 के दूसरे महिने में पांचवी बार गूर्जरों की बात मांगते हुये उन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय बात ये है कि यह आरक्षण देते समय हर बार संविधानिक प्रावधानों की अनदेखी करने के कारण हाईकोर्ट ने बार-बार सरकार के आदेशों पर रोक लगाई है। 2008 में तो आरक्षण देने के मात्र 7 दिन बाद ही हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया था। दूसरी खास बात ये है कि गूर्जरों को आरक्षण देने के बारे में सरकारों का असमंजस बार-बार जनता के सामने आया है। कभी वे 50 प्रतिशत से ज्यादा 5 प्रतिशत आरक्षण देते है तो कभी एमबीसी के नाम पर पांच प्रतिशत आरक्षण का झुनझुना पकड़ाती है और कभी एमबीसी के नाम पर एक प्रतिशत आरक्षण देने की उदारता दिखाती है। इन सब के बीच गूर्जरों का मन भी स्थिर दिखाई नहीं देता। उन्होंने शुरू में एसटी में आरक्षण से मांग शुरू की थी जिस पर प्रदेश में आरक्षण के नाम पर देश की सबसे बड़ी हिंसा हुई और 70 लोगों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस बार गुर्जर समाज और उनके नेता हठधर्मिता की सभी सीमा लांघ कर आरक्षण की घोषणा हुये बाद भी रेलवे ट्रेक से तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने उन्हें लिखित आश्वासन नहीं दिया कि वे इस आरक्षण को पूरा करवायेगी। इसी दौरान अवन्तीपुरा में हुये सीआरपीएफ पर घातक आतंकी हमले के कारण गुर्जर आन्दोलन पर भी दबाव पड़ा और उन्हें मजबूर होकर अपने आन्दोलन की जिद को छोड़कर रेल ट्रेक खाली करना पड़ा। हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है लेकिन संविधान विशेषज्ञों का मानना है और प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया का बयान भी ज्ञातव्य है जिसके अनुसार 22 सितम्बर 1915 को जो गूर्जरों को आरक्षण का बिल पारित हुआ था उसे हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी जो अभी तक लम्बित है। इस तरह से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि गूर्जरों को दिया गया इस बार भी 5 प्रतिशत आरक्षण किसी भी हालत में टिकने वाला नहीं है।

समता का अवमानना नोटिस

जयपुर । समता आन्दोलन समिति ने सरकार द्वारा गूर्जरों के आन्दोलन से घबराकर दिये जा रहे 5 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानते हुये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग को अवमानना का नोटिस दिया है।

नोटिस में निवेदन किया गया है कि हमें यह जानकारी मिल रही है कि आप द्वारा कुछ जातियों के अराजक एवं अविधिक आन्दोलन से भयभीत होकर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बाहर जाकर आरक्षण प्रावधान किये जा रहे है। आप यह जानते है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिये जाने पर राजस्थान सरकार के विरूद्ध यथास्थिति कायम रखने के आदेश जारी किये हुये है।

आप यह भी भली भांति जानते है कि संसद द्वारा हाल ही में किये गये 103वें संविधान संशोधन कानून द्वारा अनुच्छेद 16(4) एवं 15(4) के अधीन दिये जाने वाले आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत को यथावत रखा गया है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये सावधान किया जाता है कि यदि आप द्वारा किसी भी नाम से किसी भी जाति वर्ग को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया गया तो आपके विरूद्ध आपके व्यक्तिगत नाम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने पर मजबूर होना पडेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।

नोटिस की प्रति राजस्थान के सभी सम्मानीय विधायकों को भेजकर निवेदन किया गया है कि सरकार द्वारा की जा रही अवमानना में सरकार का साथ ना दे।

रोस्टर विवाद पर सामान्य वर्ग को फिर नाराज नहीं करना चाहती सरकार

नई दिल्ली। देश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए 200 पाइंट की जगह 13 पाइंट रोस्टर लागू करने के मामले में सरकार और भाजपा ने एक तरह से बैकफुट पर रहने का निर्णय किया है। पार्टी और सरकार एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए संसद के उपयोग से उपजी सामान्य वर्ग में नाराजगी को फिर उभार देना नहीं चाहती, इसलिए रोस्टर विवाद में संसद का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके बजाय सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया है।

सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक इस मामले में उपजे विवाद के बाद पीएमओ में तीन हफ्ते पहले हुये मंथन में संसद में कानून के जरिये 13 पाइंट रोस्टर लागू करने को कहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलटने पर विकल्प पर चर्चा हुई थी। लेकिन इसके बाद हुई एक अन्य बैठक में इस विकल्प पर आगे नहीं बढने का फैसला किया गया। मंत्री के मुताबिक एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए संविधान संशोधन से सामान्य वर्ग सरकार से बेहद खफा हो गया था।

क्या है विवाद

दर असल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए विभाग को मानक मानने का आदेश दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। इसके बाद विपक्ष के साथ ही सहयोगी दलों लोजपा, आरपीआई और अपना दल ने इस मामले में पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। सहयोगी दलों की यह भी मांग थी कि पुराना 200 पाइंट रोस्टर लागू करने के लिए कानून लाया जाए।

राज्यसभा में सरकार बोली - सुप्रीम कोर्ट जायेगी

रोस्टर विषय को लेकर सरकार ने राज्य सभा में कहा है कि वह आरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विश्वविद्यालयों के संकायों में आरक्षणतंत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही विशेष पुनःविचार याचिका एस.एल.पी. दाखिल करेगी। सरकार की तरफ से यह बात मानव संशाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सपा, बसपा, राजद और भाकपा सदस्यों के नोटिस पर कराई गई चर्चा में जबाव देते हुये कही।

एट्रोसिटी एक्ट-18 पर फिर से सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को कहा है कि वो केन्द्र सरकार की रिव्यू पेटिशन के खिलाफ फाइल की गई नई याचिकाओं पर जो कि एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट-18 पर नये सिरे से सुनवाई करेगी क्योंकि पुरानी बैंच बदल चुकी है।

सर्वोच्च अदालत ने इस विषय को 26 मार्च को अनुसूचित करने को कहा है और आदेश दिया है कि इस पर लगातार तीन दिन तक सुनवाई की जावेगी। जस्टिस यू.यू ललित और इन्दु मलहोत्रा ने कहा कि क्योंकि पुरानी बैंच जिसमें आदर्श गोयल बदल चुके है इसलिए सारी सुनवाई नये सीरे से की जावेगी। और यदि आवश्यक हुआ तो तीन दिनों की लगातार सुनवाई के बाद भी एक या दो दिनों तक सुनवाई की जा सकती है।

इसके पहले तीस जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन पर स्टे करने से मना कर दिया था। नई याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया है कि नये एक्ट से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और व्यक्तिगत लोगों पर झूठे आरोप लगाये जा रहे है।

अध्यक्ष की कलम से

मुख्यमंत्री को अभिनन्दन प्रस्ताव

माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणापत्र में चेप्टर संख्या-25 के वचन संख्या-2 पर स्पष्ट घोषणा की गई है कि सभी पदोन्नतियाँ टाइम-स्केल (समयबद्ध) के आधार पर की जावेगी। आपकी कैबिनेट द्वारा इस घोषणापत्र को अनुमोदित करके सरकारी नीति का रूप दिया जा चुका है। हम आपको इस सुकार्य के लिए साधुवाद देते है। आपका यह कार्य राजस्थान में लोक प्रशासन को जातिवाद से मुक्त करायेगा, आरक्षित वर्ग के राष्ट्रवादी लोक सेवकों को समानता का अधिकार के साथ आत्म सम्मान दिलायेगा, अनारक्षित वर्ग के निष्ठावान लोकसेवकों को अविधिक अन्याय से मुक्ति दिलावेगा तथा सम्पूर्ण लोकसेवकों में कार्यदक्षता में निश्चित बढोत्तरी करेगा। आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त वचन को पूरा करते हुए दिनांक 01.04.1997 से राज्य के सभी सेवा संवर्गों में समयबद्ध पदोन्नति के आदेश यथाशीघ्र जारी करते हुए संशोधित पदोन्नति सूचियाँ एवं संशोधित वरिष्ठता सूचिया सभी परिलाभों सहित शीघ्रातिशीघ्र जारी करके प्रदेश के 05 लाख से अधिक कर्मठ, निष्ठावान एवं राष्ट्रवादी लोकसेवकों द्वारा भुगते जा रहे अन्याय से मुक्ति दिलवाने की कृपा करें। आप द्वारा उपरोक्तानुसार न्यायपूर्ण आदेश जारी कर उसकी क्रियान्विति करवाने पर समता आन्दोलन समिति द्वारा प्रदेश की सभी 314 तहसीलों से औसतन 100-100 लोकसेवकों/ कार्यकर्ताओं को जयपुर बुलाकर लगभग 31 हजार से अधिक की सभा में आप श्रीमान को अभिनन्दित किया जावेगा।

सम्पादकीय

हतप्रभता और तदर्थता का दौर

अवन्तीपोरा में आतंकियों ने आर डी एक्स से भरी कार को सी.आर.पी.एफ की बस से टकराकर उड़ा दिया। कुल मिलाकर 40 जवानों की मौत हो गई। ये दुखद घटना इसलिये महत्वपूर्ण है कि संसद, संविधान और सरकार के होते हुई नहीं है वरन होती रही है। लोकतंत्र के ये तीनों प्राणतत्व यदि अकारण मानव मृत्यु का विकल्प 1980 से 2019 अर्थात 40 सालों तक तलाश नहीं पा रहे हो यह आतंकी हमलों से कम खतरनाक नहीं है।

इसी तर्ज पर जात आरक्षण के कारण हुई मौतों और इसी विषय पर प्रकारांतर से मृत्यु को प्राप्त लगभग तीन लाख किसानों की मौत की जवाबदारी भी इन्हीं तीनों पर आती है। बाचाल मीडिया और पंगु प्रशासन को गिनने का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। विशेषकर जात जहर के कारण तीन तेरह हुए प्रशासनिक अमले ने भी समस्याओं को उलझाया है। लेकिन इस सब बातों से ऊपर और खास बात ये है कि कथित विकास के नाम पर मानव की गिनती को जिस तरह भुलाया जा रहा है उसके लिए देश की जनता को ही जागकर खड़े होना पड़ेगा।

वैसे संवैधानिक संस्थाओं के होते हुए जनता को खड़ा होने का सुझाव देना पड़े तो प्रथम दृष्टया लोकतंत्र की सफलता पर संदेह होने लगता है। इस संदेह का कारण ये है कि जनता को जगाने या जनहित सोचने के लिए जो समाजसेवी इकाईयां होती थी वे सब धीरे-धीरे करके खत्म हो चुकी या होती जा रही हैं। एक मात्र आशा की किरण रही न्याय व्यवस्था भी तब से हतप्रभ है जब से जातिवादी गुण्डों ने न्यायपालिका में जाति आरक्षण की मांग उठानी शुरू कर दी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के आरोपों से बच नहीं पा रहा है।

क्या हो गया है भारत देश को? दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान ने क्या अपना प्रभाव खो दिया है? हर जगह एक तदर्थवाद हमें कहा ले जाकर छोड़ेगा? समता आन्दोलन अकेला संविधान पोषक संगठन आखिर कितने दिनों तक टिका रह सकेगा? किरोड़ी लाल बैंसला जैसे नागरिक अधिकारों का हनन करने वालों पर कब तक आँखे बंद रखी जाती रहेगी? और इन सब के होते आतंकियों की हरकतों पर अंकुश कैसे लगाया जा सकेगा?

प्रश्न और भी बहुत से हैं लेकिन यदि उनका उत्तर तदर्थवाद ही होना है तो फिर प्रश्नों का मोल भी समाप्त हो जायेगा। कथित सरकारों ने संसद का संसदीय प्रयोग केवल अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का उपकरण तक सीमित कर दिया है। अब संसद जनहित की पाठशाला नहीं वरन पार्टियों के दंगल का अखाड़ा बनकर रह गई है। या बहुत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित संवैधानिक आदेशों को असंवैधानिक बनाने तक रह गया है। इस कारण 130 करोड़ जनता का बोझ झेल रहे देश के भविष्य को लेकर भय और भ्रम का बनना स्वाभाविक है।

इतनी बातों का गिनने का मतलब हमें ये लगता है कि अब प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव का महत्व असंदिग्ध रूप से कम हुआ है। और इसके मूल में कथित राजनैतिक पार्टियों और उनके नेताओं का बदला हुआ नजरिया है। वे इन्सान को पहले एक वोट मानते थे तो उसका योगक्षेम भी सोचते समझते थे। जब से इन्सान वोट से बदलकर ''जात'' के रूप में सीमित हुआ है तब से सब कुछ बदल गया है। इसलिए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत जन को आरक्षण दिया जाना ये संभावना दर्शाता है कि शायद कुछ समय में इन्सान को जात समझने और मानने के भाव में परिवर्तन होगा। इससे बहुत बड़ा राष्ट्रीय परिवर्तन भी संभावित है। आईये आशा करें कि ऐसा ही हो।

- योगेश्वर झाड़सरिया

वास्तविक दलितों व पिछड़ों को कब मिलेगा आरक्षण का लाभ

सदियों से देश में व्याप्त जातिवाद व वर्ण व्यवस्था ने कुछ वर्गों को समस्त अधिकार उपलब्ध करवाकर ऐश्वर्य, ज्ञान व सत्ता के साधन उपलब्ध करवाये वहीं स्मृतियों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बहुसंख्यक समुदायों को शिक्षा, संस्कार, सम्पन्नता व राजनैतिक अधिकारों से वंचित किया। फलस्वरूप शोषण, दमन व उत्पीड़न के शिकार ऐसे बहुसंख्यक समुदाय की जीवन्तता समाप्त सी हो गई तथा बहुसंख्यक समुदाय की निर्जीवता से देश कमजोर हुआ। बहुसंख्यक मेहनतकश वर्ग विभिन्न श्रेणियों में बंट गया। आदर, अनादर, ऊंच-नीच की भावना सदा के लिए अटूट हो गई। सामाजिक व्यवस्था ने साधारण श्रमिक को विद्या अध्ययन करने, निजी रक्षार्थ शस्त्र रखने, सम्मानजनक व्यवसाय कर आजिविका अर्जित करने से वंचित कर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात बने संविधान में राष्ट्रीय एकता, बन्धुत्व, समानता, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय का राष्ट्र निर्माताओं ने संकल्प लिया।

सदियों से चली आ रही भेदभाव पूर्ण सामाजिक व्यवस्था व छुआछूत को समाप्त किया। निरयोग्यताओं और निषेधों से ग्रसित पिछड़े समुदायों को सामाजिक समानता का संवैधानिक अधिकार मिला। इससे शासन प्रशासन से उपेक्षित वर्गों को नियोजित भागीदारी मिली। उनमें आत्म विश्वास जगा, शिक्षा का संचार हुआ, राजनैतिक पदों एवं राजकीय सेवाओं में स्थान मिला, सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। परन्तु सत्तासीन समाज व प्रतिनिधियों ने संविधान के अनुरूप, नीति अनुरूप नीयत नहीं रखी और अपने हितों का ध्यान रखा। सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

राजनैतिक दलों व शासकों ने राजनैतिक लाभ के लिए विभिन्न वर्गों व जातियों को आश्वासन देना व अवैध फैसले लेना आरम्भ कर दिये। नये वादों के साथ अवैध कानून व नियम बनाये। अदालतों द्वारा अवैध घोषित होने पर भी आश्वासन दिये जाते रहे। एग्रेसिव बड़ी संख्या वाली जातियाँ आन्दोलन द्वारा सरकारों को झुकाती रही। बगैर कमीशन की रिपोर्ट व राय के फैसले किये जाने लगे अथवा राजनैतिक आधार पर कमीशन बना कर मनमानी रिपोर्ट ली जाने लगी। पक्षपाती नीतियों व निर्णयों के अनुसार आरक्षित वर्ग में तुलनात्मक रूप से बेहतर लोगों को अधिकांश लाभ दिया जाता रहा है। शिक्षित एवं सामाजिक रूप से उन्नत परिवारों के सदस्यों को अधिक लाभ मिला। क्रीमिलेयर का सिद्धान्त लागू नहीं किया और वंचित वर्गों के अत्यधिक पिछड़े वर्ग को लाभ नहीं मिला। आरक्षण का राजनीतिकरण हो गया।

आजादी के 70 साल बाद सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थितियों में बदलाव आया है। साधन साध्य हो गया। आरक्षण के निर्धारित मापदण्डों में बदलाव की आवश्यकता है। आरक्षण पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करने का जरिया बन गया। वर्तमान में आरक्षण सामाजिक असमानता मिटाने व वंचित वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने का साधन नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आरक्षण का पुनर्वावलोकन जरूरी हो गया है।

डा0 सत्यनारायण सिंह
पूर्व आई.ए.एस

क्या आरक्षण का मूल तर्क बदलने जा रहा है?

राजनीति इसलिए अहम है क्योंकि वह असर डालती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वह असर होता है जो हमारे समाज पर पड़ता है। चाहे उसकी मंशा हो या नहीं, लेकिन सरकार हमारी जिंदगी के बुनियादी ढर्रे को बदल सकती है। अनारक्षित आबादी में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के हित 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी देने के लिए संविधान में परिवर्तन का फैसला इसीलिए इतना अहम हो उठा है। यदि ऐसा हुआ, तो यह हमारी बुनियादी प्रकृति को बदल डालेगा, हमारी जिंदगी पर असर डालेगा और हमारी आकांक्षाओं को प्रभावित करेगा।

मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। शुरूआत दूसरे बिंदु से करते है। आज तक आरक्षण की मंशा ऐतिहासिक रूप से मौजूद सामाजिक व शैक्षणिक वंचना से निपटने की रही है। यही आरक्षण का मूल तर्क था। सह अब बदलने जा रहा है। अब से आरक्षण गरीबी उन्मूलन का एक माध्यम बन जाएगा।

परंपरागत रूप से अमीरों पर कर लगाया जाता रहा है ताकि गरीबों में उसका पुनर्वितरण किया जा सके। अब शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों तक भी उनकी पहुंच को बाधित किया जाएगा ताकि इन्हें गरीबों के लिए आरक्षित किया जा सके। इसका एक और परिणाम यह होगा कि योग्यता के ऊपर जन्मना या आर्थिक दर्जा भारी होगा और उसी के आधार पर स्कूल या यूनिवर्सिटी की शिक्षा व सरकारी नौकरी में जगह मिलेगी। गरीबों तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से वंचित लोगों को अमीरों के मुकाबले शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में जगह पाने के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। मेरा पहला बिंदु ज्यादा चिंताजनक है। हम अंतत एक ऐसे देश में तब्दील हो जाएंगे जहां हर कोई आरक्षण का लाभार्थी होगा। बस एक छोटा सा तबका जो अल्पसंख्यक होगा, इससे दूर रहेगा। फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए हमारे यहां 15 फीसदी आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति के लिय 7.5 फीसदी और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी आरक्षण है। मोटे तौर पर यह आबादी के 77.20 फीसदी हिस्से को कवर कर लेता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नए वाले 10 फीसदी आरक्षण की कसौटियों का विश्लेषण बताता है कि एक छोटा सा हिस्सा ही आरक्षण से बाहर रह जाएगा।

आइए, अब कसौटियों को बारी-बारी से लेते हैं। आयकर के आंकड़े और एनएसएसओकी रिपोर्ट बताती है कि 8 लाख सालाना की पारिवारिक आय वाले दायरे में 95 फीसदी भारतीय परिवार आते है। जमीन के रकबे वाली कसौटी से भी यही नतीजा निकलता है। 2015-16 की कृषि जनगणना के मुताबिक समूची काश्त का 86.2 फीसदी पांच एकड़ से कम है जिसका मतलब यह हुआ कि पांच एकड़ की कसौटी से बाहर रहने वाली आबादी 14 फीसदी से कुछ कम है। तीसरी कसौटी मकान के आकार की है जो 1000 वर्ग फुट से बड़ा नही होना चाहिए। एनएसएसओ की 2012 की रिपोर्ट बताती है कि सर्वाधिक अमीर 20 फीसदी लोगों के पास भी जो मकान है उनका औसत आकार 500 वर्ग फुट है। यह सीलिंग का आधा हुआ। यानी एक बार फिर हम पाते है कि देश की कोई 90 फीसदी आबादी इस कसौटी के दायरे में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? सहज रूप से कहा जा सकता है कि तकरीबन हर कोई अब शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण का लाभार्थी होगा। केवल एक छोटा सा हिस्सा जो शायद 5 फीसदी के आसपास हो- इसमें कवर नहीं होगा। मेरे पास दो सवाल बचते हैं जो नेताओं से पूछे जाने चाहिए। पहला क्या हम ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं? दूसरा, इस किस्म के देश में जीने का अहसास कैसा होगा? - करण थापर

दलितों को भड़काने का षड़यंत्र

अवन्तीपुरा में शहीद हुये जवानों के पक्ष में जिस तरह का गुस्सा पूरे देश में दिखाई दिया उसे टीवी चैनलों ने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जोर-शोर से दिखाया। इसी दौरान एक पंक्ति ऐसी भी बताई गई जिस पर बोला तो नहीं गया लेकिन बार-बार उसे दिखाया गया। वो पंक्ति ये है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के दलितों को भड़काकर देश को अस्थिर करना चाहती है। इसके पक्ष में पिछले वर्ष दो अप्रेल का रक्त रंजित भारत बंद का उदाहरण दिया गया। हालांकि इस विषय पर किसी भी चैनल ने बहस दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जिस खतरे को राष्ट्र पहले से महसूस कर रहा था वो आतंकवादी हमले के बाद सबके सामने आ गया।

पौराणिक कथन : 'कैलास'

तिब्बत हिमालय में मानसरोवर झील से सटा एक पर्वत जिस पर भगवान शंकर और भगवती पार्वती का निवास माना जाता है।

अंधकार बढता जाता है,
बिन दीपक क्या चल पाओगे।
सारा सिस्टम फेल हुआ तो,
जीते जी ही मर जाओगे।।

कविता

सूरज को जुगनू ग्रसते हैं

जिनको गिनती तक याद नहीं,
वे गणित पढ़ाते बच्चों को ।
जो स्वयम झूठ की औलादें,
वे सच सिखलाते बच्चों को।।
छोड़ो भाई बात नियम की,
सबसे ऊंची जात भरम की,
सारे स्वर हैं थके थके से-
शहनाई पर जीत है ड्रम की,
अगड़म बगड़म धक्कमपेली -
संसद उगल रही गच्चों को ।।
जो स्वयम झूठ की औलादें,
वे सच सिखलाते बच्चों को।।
बस्ती में अजगर बसते हैं,
लोहे से हीरे सस्ते हैं,
जातिवाद के काले घेरे-
सूरज को जुगनू ग्रसते हैं ,
जिनसे आशा थी गरिमा की -
वे गोद खिलाते टुच्चों को ।।
जो स्वयम झूठ की औलादें,
वे सच सिखलाते बच्चों को।।
सीमा पार खड़ा है दुश्मन,
भीतर वालों के हैं दो मन ,
कृष्ण खड़े बेचैन सोचते-
गली गली दिखते दुशासन।
भारत मां सुलझावे कैसे -
उलझ गये सारे लच्छों को।।
जो स्वयम झूठ की औलादें,
वे सच सिखलाते बच्चों को।।

:: प्रदीप सिंह ::

समता आन्दोलन की कार्यकारिणी द्वारा अवन्तीपोरा (पुलवामा) में शहीद हुये सीआरपीएफ के जवानों को मौन रख एवं मोमबत्तियाँ जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दलित बनाम शोषित का भ्रम

गतांग से आगे:-

खैर, अब बात यह उठती है कि इस बीमारी का इलाज क्या है? "आज हमें जरूरत यह नहीं है कि हम मंदता अथवा गतिरोध को स्थिरता का जामा पहना कर पेश करते हुए रोटी के एक ही सूखे टुकड़े पर एक साथ झपट्टा मारें; बल्कि जरूरत है अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बेकार पड़ी अप्रयुक्त प्रतिभा का भरपूर दोहन करते हुए तेजी से आगे बढ़ने की। जब तक राष्ट्रीय विकास में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक हम 'आरक्षण' का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। उत्पादन में वृद्धि करके और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर ही निर्धनता को दूर किया जा सकता है, जबकि निर्धनता के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। शायद यह 'सेवा मुकदमा' (service litigation) की भौतिकवादी व्याख्या और इन याचिकाओं का एक गंभीर स्पष्टीकरण है।"

अपनी इस बात में-"शायद यह 'सेवा मुकदमा' (service litigation) की एक भौतिकतावादी व्याख्या है।"-माननीय न्यायाधीश 'अपनी लड़ाई' के दूसरे पक्ष के प्रति अपना स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी एक मामले के निर्णय में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने इन बातों का समर्थन किया है-अर्हता-शर्तों में छूट; 66.67 प्रतिशत आरक्षण; निम्न स्तर के पदों के साथ-साथ उच्च पदों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण और इससे भी आगे कदम बढ़ाते हुए वह सर्वोदय न्यायालय के एक फैसले में जातीय समूहों-एक ओर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के तथा दूसरी ओर अन्य पिछड़ा वर्ग के-को प्रस्तावित लाभ के लिए एकजुट होकर लड़ने की नसीहत भी देने लगते हैं।

जी हाँ, वह कहते हैं-" हमारे गणतंत्र के संस्थापकों-जो सामाजिक खंडनमंडन और समाजवादी ज्ञान से भली-भाँति परिचित थे-का उद्देश्य जरूर इन वंचित वर्गों को कठोर सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक साथ लाकर खड़ा करना रहा होगा; उन्होंने अपने ही भाई-बंधुओं-दलितो और शोषितों-को अंधा बनाकर उनके द्वारा एक-दूसरे को मारने और इस प्रकार देश की विकास यात्रा को अवरूद्ध करने तथा राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुँचाने की रणनीति के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा। समाजशास्त्री जब तक खंडन-मंडनात्मक दृष्टिकोण से दलित बनाम शोषित के इस भ्रम से परदा नहीं हटाते, तब तक लोकतंत्र के प्रति अविश्वास की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी तथा संवैधानिक परिवर्तन अथवा क्रांति तथा समतावादी न्याय की व्यवस्था पुस्तकों में ही सिमटकर रह जाएगी और इस प्रकार 26 जनवरी, 1950 को गणतंत्र की स्थापना के समय की सारी आशाएँ आज दशकों के बाद भी निराशा के रूप में ही बनी रहेंगी।"

> समाजशास्त्री जब तक खंडन-मंडनात्मक दृष्टिकोण से दलित बनाम शोषित के इस भ्रम से परदा नहीं हटाते, तब तक लोकतंत्र के प्रति अविश्वास की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी तथा संवैधानिक परिवर्तन अथवा क्रांति तथा समतावादी न्याय की व्यवस्था पुस्तकों में ही सिमटकर रह जाएगी

आगे अपने निर्णय के उपसंहार में वह पुनः इस बिंदु पर आते हैं-"आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा-ये दोनों ही वर्ग वंचित वर्ग में आते हैं। इसलिए इन दोनों वर्गों को एक साथ मिलकर पूरी शक्ति से कार्य करते हुए आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाना चाहिए और इस प्रकार अनुच्छेद 38 को वास्तविकता में बदलना चाहिए।" जी हाँ, यह नसीहत न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की ही है।" यदि ये दोनों वर्ग एक-दूसरे से अलग-थलग रहते हैं तो इससे वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय के संयुक्त प्रयासों की तीव्रता कम हो जाएगी'"। यदि 'संपूर्णता की दुःखद व्यवस्था' को अनुच्छेद 38 के अनुसार पुनर्व्यवस्थित नहीं किया जाता तो भारतीयों में व्याप्त निराशा खतरे का संकेत उत्पन्न करेगी।"

न्यायमूर्ति ओ. चित्रप्पा रेड्डी भी स्वयं को यह कहने से नहीं रोक पाते कि समस्या का वास्तविक हल तीव्र आर्थिक विकास में निहित हो।" बगीचे में फल ज्यादा नहीं हैं, इसलिए बगीचे के भीतर बैठा व्यक्ति बाहर खड़े लोगों को भीतर नहीं आने देना चाहता।"-न्यायमूर्ति रेड्डी कहते हैं। यहाँ रूककर थोड़ा विचार करें-'बगीचे में फल ज्यादा नहीं हैं, इसलिए,...'। यह बिलकुल वही मूर्खतापूर्ण धारणा है, जिसने भारत को तीस वर्ष पीछे पहुँचा दिया-सभी लोग एक साथ और एक ही गति से आगे बढ़ें, यह संभव नहीं है और चूँकि फलों की मात्रा निश्चित है, इसलिए एक व्यक्ति अथवा समूह को यदि ज्यादा मिलता है तो दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को (स्वाभाविक रूप से) कम मिलेगा।

लेकिन न्यायमूर्ति रेड्डी की बात तो अभी पूरी नहीं हुई। इस तथाकथित योग्यवादी सिद्धांत का देश के कुपोषित, निरक्षर, निर्बल और निर्धन वर्ग पर जो पीड़ादायक प्रभाव पड़ा है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, एक और उपाय- जब आप अपनी बात के समर्थन में पर्याप्त तर्क न प्रस्तुत कर सकें तो बस कह दीजिए कि बात इतनी स्पष्ट है कि कहने की आवश्यकता ही नहीं है! लेकिन यह सब तो एक शुरूआत भर है।

'योग्यता' अथवा 'श्रेष्ठता' क्या है?

"और योग्यता (अथवा श्रेष्ठता) क्या है?" ये शब्द न्यायमूर्ति ओ. चित्रप्पा रेड्डी के हैं। ये शब्द भी ऐसे हैं कि इन्हें कोई अवसरवादी राजनेता बड़ी आसानी से उठा सकता है, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय का कोई दूसरा न्यायाधीश इन्हें गुंजायमान कर देगा। जी हाँ, यह 'ध्वनि परिवर्तन' का प्रभाव है!

न्यायमूर्ति ओ. चित्रप्पा रेड्डी का कहना है कि "किसी व्यवस्था में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, जिसके ऐसे परिणाम हों। अनुसूचित जाति एवं जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बच्चा-जो गरीबी, निरक्षरता और संस्कृति-विहीनता के माहौल में पला-बढ़ा है, जिसे समाज हेय दृष्टि से देखता है, जिसके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें या पत्रिकाएँ नहीं हैं, देश-विदेश की खबरें आदि सुनने के लिए रेडियो नहीं है, देखने के लिए टेलीविजन नहीं है, घर पर गृहकार्य में मदद करनेवाला कोई नहीं है, जिसे निकट के ही स्कूल/कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, जिसके माता-पिता इतने अज्ञानी और अशिक्षित हैं कि वह उनसे किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आशा भी नहीं कर सकता, ताजा घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से समाचार-पत्र पढ़ने के लिए सार्वजनिक अध्ययन कक्ष में जाना पड़ता है- इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद किसी प्रतियोगी परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है, जिसमें उच्च वर्ग से निकलकर आए बच्चे- जिनके पास सभी सुविधाएँ मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए कोचिंग कक्षाएँ लेने में भी सक्षम हैं-70, 80 या 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं; ऐसे में क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के इस बच्चे को योग्य नहीं माना जा सकता? इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बच्चा इतनी सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ा है, वह अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। यदि वह वसंत का फूल नहीं हो सकता तो कम-से-कम पतझड़ के फूल जरूर हो सकता है। तो उन्हें कथित योग्यतावादी सिद्धांत की दहलीज पर रोककर क्यों रखा जाए?"

क्या समस्या को दूर करने का कोई और रास्ता नहीं है? क्या यही न्याय है? "न्यूनतम अर्हता-मानदंडों का निर्धारण करके कुशलता को हमेशा कायम रखा जा सकता है। उच्च वर्ग के संदर्भ में औसत दर्जे की योग्यता अतीत में सदैव आगे रही है। लेकिन जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की बात आती है तो हम इस औसत दर्जे की योग्यता के सिद्धांत को योग्यतावादी सिद्धांत के खिलाफ क्यों खड़ा कर देते हैं,"

-शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक आरक्षण का दंश' से साभार

आरक्षण की बजाय उत्कृष्टता पर ध्यान दें तो समृद्धि लाकर देश को पूरी तरह बदल सकते हैं

योग्यता पर जोर देकर चीन ने किया चमत्कार

आरक्षण की बजाय उत्कृष्टता पर ध्यान दें तो समृद्धि लाकर देश को पूरी तरह बदल सकते हैं जिस दिन राज्यसभा ने संविधान संशोधन को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ किया, उस दिन संयोग से मेरे मेल बॉक्स में एक ई-मेल आया। यह भारत और चीन में योग्यता आधारित सामाजिक व्यवस्था की तुलना पर आधारित हार्वर्ड के एक रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में था।

हार्वर्ड का यह प्रोजेक्ट इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया के दो सबसे बड़े और पुराने समाज भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बावजूद प्रतिभा प्रबंधन के बारे में एक-दूसरे से सीख सकते हैं। चूंकि मैंने संगठनों का प्रबंधन संभाला है तो मुझे मालूम है कि प्रतिभा समाज में सबसे कम पाया जाने वाला संसाधन है और सही जगह पर सही व्यक्ति के होने से ही सारा फर्क पैदा होता है। इसलिए जब संसद ने कानून पारित किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस कानून ने सर्वाधिक प्रतिभाशालियों के लिए अवसर घटा (अब सिर्फ 40 फीसदी) दिए। खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण शासन और शिक्षा व्यवस्था में।

हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने यह समस्या रहती है कि उत्कृष्टता और निष्पक्षता का मेल कैसे हो। भारत ने जाति के आधार पर ऐतिहासिक असमानता के बदले दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण देकर समाधान निकाला। यह अस्थायी कदम था लेकिन, 70 साल बाद भी न सिर्फ मौजूद है बल्कि राजनीतिक होड़ ने इसे अन्य पिछड़ी जातियों तक विस्तार दे दिया है। अब उच्च शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आधे स्थान योग्यता पर आधारित न होकर आरक्षित हैं। यह सही है कि इससे निम्न जातियों का स्वाभिमान और दर्जा ऊंचा हुआ है पर उनका आर्थिक दर्जा नहीं बढ़ा है (सिर्फ 'क्रीमी लेयर' छोड़कर)। इसके दो कारण हैं एक, नतीजों की परवाह न करने वाली सड़ी हुई शिक्षा प्रणाली, जो छात्रों को रोजगार योग्य बनाने में नाकाम रहती है। दो, आर्थिक मॉडल जो सुदूरपूर्व के एशियन टाइगर्स और चीन की तरह बड़ी संख्या में ऊंची नौकरियां पैदा करने में नाकाम रहा।

हम चीन के उदय से चमत्कृत है लेकिन, इस बड़े चमत्कार में योग्यता आधारित व्यवस्था ने जो भूमिका निभाई, उसकी सराहना नहीं करते। बेशक, चीन में प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्कृष्टता (पॉलिटिकल मेरिटोक्रेसी) का आदर्श मौजूद रहा है। ढाई हजार साल से भी पहले चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो शासन करते हैं उन्हें वंश परम्परा की बजाय गुणों व योग्यता के आधार पर ऐसा करना चाहिए। 10वीं सदी से 1905 तक चीनी अधिकारी मुख्यतः एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाते थे। प्रदर्शन के कठोरता पूर्वक किए आकलन के आधार पर उनकी पदोन्नति होती थी। राजनीतिक उत्कृष्टता की यह अवधारणा चीन से पश्चिम में गई और विचित्र बात है कि इसका माध्यम ब्रिटिश कालीन भारत बना था।

'द चाइना मॉडल' पॉलिटिकल मेरिटोक्रेसी एंड द लिमिट्स ऑफ डेमोक्रेसी' के लेखक डेनियल बेल के मुताबिक चीन में देंग शियाओपिंग ने योग्यता के प्राचीन आदर्श को 1978 में फिर बहाल किया। हम चीन के आर्थिक सुधारों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन, उसके राजनीतिक सुधारों की हमने अनदेखी कर दी। बेल हमें बताते हैं कि पिछले चार दशकों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के जरिये चीन में उत्कृष्टता के लिए अथक प्रयास किए गए। इसके साथ प्रतिभाशाली लोगों को शासन के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त करने से देश की नेतृत्व क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। योग्यता पर इस तरह ध्यान केंद्रित करने से न सिर्फ कार्यकुशलता में सुधार हुआ बल्कि गरीबी को लगभग पूरी तरह मिटाकर चीन को मध्यवर्गीय राष्ट्र बना दिया गया है। हालांकि, भ्रष्टाचार फैला हुआ है और लोकतांत्रिक जवाबदेही मौजूद नहीं है लेकिन, सबके लिए जो समृद्धि और सुशासन आया है उससे साधारण व्यक्ति संतुष्ट है।

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के उदय ने भी गरीबी में काफी कमी लाकर मध्यवर्ग का विस्तार किया लेकिन, चीन के सामने यह सफलता फीकी है। चीन की तुलना में भारत इस तरह फायदे में है कि इसने जीवंत लोकतंत्र के जरिये लोगों को बोलने की आज़ादी दी है लेकिन, इसकी तुलनात्मक नाकामी कमजोर शासन व शिक्षा है, क्योंकि भारत में प्रतिभा की अत्यधिक बर्बादी होती है। यदि भारत ने अपनी कुछ राजनीतिक ऊर्जा आरक्षण से हटाकर सरकार की क्षमता बढ़ाने में लगाकर शिक्षा व शासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वाधिक योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया होता तो आज आम आदमी बेहतर स्थिति में होता। मुझे संदेह है कि भारतीय अपनी व्यवस्था को अपनी खामियों के बावजूद चीनी व्यवस्था से बदलना चाहेंगे। फिर भी उत्कृष्टता पर जोर देने के चीन के रवैये से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लोकतंत्र में निर्वाचित राजनेता आमतौर पर भावी पीढ़ियों की कीमत पर आज के मतदाता के हितों को महत्व देते हैं। यही कारण है कि भारत की सरकारों ने शिक्षा व स्वास्थ्य में आमतौर पर सबसे कमजोर मंत्रियों व अधिकारियों को रखा है। इसीलिए हमारे समाज में काफी संख्या में मूढ़ लोग शिक्षक, पुलिसकर्मी और निचली अदालतों के जज बन जाते हैं। बेल ने बताया है कि कैसे चीन में प्रवेश के स्तर पर और फिर अधिकारी के पूरे कॅरिअर में और शासन के सबसे निचले स्तर तक योग्यता पर जोर देने से सामान्य लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान हुआ और इससे राजनीतिक नेताओं को लोगों की नज़र में वैधता मिली।

भारत में 10 फीसदी नए आरक्षण में बड़ी खामी है और यदि यह न्यायिक समीक्षा में खरा उतर भी गया तो वक्त आ गया है कि कोटे पर आधारित समाधान की समीक्षा की जाए। सकारात्मक कार्रवाई के बेहतर तरीके भी हैं। कोटा इसलिए भी बुरा है, क्योंकि इससे राष्ट्र की ऊर्जा प्रतिभाओं के पोषण से हटती है।

21वीं सदी में भारत के सामने लोकतंत्र और उत्कृष्टता का मेल कराने की चुनौती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर स्तर पर सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोग नेतृत्व करें। तो आइए हम जानें कि चीन ने कैसे समृद्धि व समानता, दोनों को संभव बनाया। जब उच्च स्तर की शिक्षा के साथ भ्रष्टाचार मुक्त, योग्यता आधारित शासन होता है तब सस्ता श्रम खुली, वैश्विक व्यापार प्रणाली में प्रतिस्पर्धात्मक धार देता है। इससे एक पीढ़ी के भीतर ही ऊंचा मेहनताना संभव हो पाता है। एक बार निजी क्षेत्र में ऊंचे वेतन वाले भरपूर जॉब हो जाए तो आरक्षण के लिए संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएगा और पूरा राष्ट्र मध्यवर्गीय हो जाएगा। भारत को इसी तरह बदला जा सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार है)

- गुरचरण दास

50 प्रतिशत से बाहर ही रहेगा आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण

जयपुर। गुर्जरों को मिले 5 प्रतिशत आरक्षण पर गुर्जरों की कार्यकारिणी के एक सदस्य से बात करने पर उन्होंने आश्वस्त होकर कहा कि इस बार दिया गया पांच प्रतिशत आरक्षण किसी भी तरह रद्द होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार ने खुद ही आर्थिक रूप से विपन्न सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देकर पचास प्रतिशत की सुप्रीम कोर्ट की सीमा को तोड़ दिया है।

गुर्जर नेता का यह उदाहरण अकेला नहीं है। जैसे ही यह संविधान संशोधन संसद ने पास किया वैसे ही पढे लिखे समझदार लेकिन संविधानिक प्रावधानों से इतर सोचने वाले अनेक लोगों ने ऐसी ही टिप्पणी की है कि आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण से अब आरक्षण की कोई सीमा नहीं रही है।

ऐसा सोचने वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा रेखा और दस प्रतिशत आर्थिक विपन्नों को दिया गया आरक्षण दोनों बिल्कुल अलग-अलग विषय है। हालांकि दोनों ही अब संविधानिक हो गये है लेकिन फिर भी पचास प्रतिशत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई सीमा रेखा केवल जाति आधारित आरक्षण पर लागू है ना कि आर्थिक आधार पर दिये गये दस प्रतिशत आरक्षण पर। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि जो पचास प्रतिशत आरक्षण है वो जात के आधार पर एक तरह का विशेषाधिकार है जो एम नागराज को रिविजिट करने पर स्पष्ट हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट की दूसरी संविधान पीठ ने एम.नागराज को रिविजित करते समय उसके तीन मूल प्रावधानों में से एक जात पर आधारित प्रावधान को हटाने की स्वीकृति दे दी है। लेकिन इस आधार पर यदि कोई यह मानता है कि दस प्रतिशत आर्थिक आधार पर दिये गये आरक्षण के कारण गुर्जर या किसी अन्य समाज को जात के आधार पर पचास प्रतिशत की सीमा को तोड़ कर आरक्षण दिया जा सकता है तो संविधान की दृष्टि से यह उचित नहीं है। विधि विशेषज्ञ और वर्तमान वित्त मंत्री अरूण जेटली कह भी चुके है कि ये दस प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण का संविधान संशोधन निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

- समता डेस्क

राजस्थान सरकार पर लटकी अवमानना की बड़ी तलवार

जयपुर। ''राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार पदोन्नति में आरक्षण के मामले में संभावित अदालती अवमानना के कारण हो सकता है पांच साल से पहले ही गिर जाए''- यह विचार कानून की समझ रखने वाले व्यक्ति ने अनौपचारिक बातचीत में प्रकट करते हुए यह पुछल्ला भी लगा दिया कि इनकी पिछली सरकार भी हाईकोर्ट की अवमानना के कारण ही गई थी।

दैवयोग से अवमानना पर देश की सर्वोच्च अदालत बेहद दो टूक और साफ कार्रवाई करती दीख रही है। दूसरा दैवयोग ये है कि पछली अशोक गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट की अवमानना की तो उनकी सरकार जाते-जाते चली ही गई। और इस बार तो अवमानना सुप्रीम कोर्ट की है। अतः अनुमान सही भी हो सकता है कि सरकार पांच साल भी पूरे ना कर सके। तीसरा दैवयोग तो नहीं संयोग है कि पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में भी अवमानना का केस समता आन्दोलन ही लड़ रहा है। हाल ही 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुये राजस्थान सरकार के 03.10.18 के आदेश को अपने आदेशों की अनुपालना मानते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। लेकिन सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे एएजी ने बाद में आपत्ति जताई की यह फैसला उनकी अनुपस्थिति में हुआ है। अतः अगले ही दिन फिर सुनवाई हुई तो एएजी को अदालत ने समझाना चाहा लेकिन वे यही कहते रहे कि सरकार ने 05.10.18 के आदेश को रोक दिया था और उस पर आज तक कोई कार्वाई नहीं की गई है इस पर समता आन्दोलन के वकील एम.एल. लाहोटी ने अपनी दलीलों से एएजी के तथ्यों को सरकार का सफेद झूठ सिद्ध कर दिया। और कहा कि सरकार ने निरंजन आर्य जैसे जातिवादी अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दो संविधान पीठों और चार-चार खण्डपीठों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहोटी की दलीलों को गंभीर मानते हुए कहा है कि हम इस पर विचार करके देखेंगे कि सरकार ने अवमानना की है या नहीं। और एक सप्ताह बाद की तारीख सुनवाई हेतु निर्धारित कर दी।

- समता डेस्क

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिन्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in